हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 12 अंक : 5 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मई, 2021

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

मराठा समुदाय को आरक्षण का फैसला रद्द

50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण समानता के हक के खिलाफ: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने मराठों के लिए 16 फीसदी आरक्षण के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन्द्रा साहनी मामले में फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने से आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से पार हो जाती है, लिहाजा यह असंविधानिक है। पीठ ने 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघने को समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया।

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधानिक पीठ में न्यायाधीश अशोक भूषण के अलावा न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव, न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर, न्यायाधीश हेमन्त गुप्ता और न्यायाधीश एस. रविन्द्र भट्ट शामिल है। इससे पहले मुम्बई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के सरकार के फैसले को कई लोग तथा संगठनों ने चुनौती दी थी।

पुख्ता आधार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मराठाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को पार करने के लिए न तो गायकवाड आयोग, न ही हाईकोर्ट के पास कोई पुख्ता आधार था। हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई अप्रत्याशित हालत उत्पन्न हुई थी कि आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को लांघा जाए।

पिछड़ा समुदाय नहीं है मराठा

मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं करार दिया जा सकता उन्हें आरक्षण के दायरे में लाना सही नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा लगाई गई रोक के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने का समाचार है।

दूसरा समाचार अधिक महत्वपूर्ण है। मराठा आरक्षण पर रोक के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने सम्भवत: आदेश में प्रदेश की सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मियों और अफसरों के लिये प्रमोशन में रिजर्वेशन फिर से शुरू करने की घोषणा की है। जबकि इसी महिने की 7 मई को राज्य सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देने का फैसला किया था। यहाँ तक कि बजट में सूचना प्रकाशित की गई कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

उपरोक्त दोनों ही समाचार देश के कथित राजनेताओं के प्रति एक निराशा का भाव मन में भरते है। हांलकि अब की सरकारें निराश शब्द को चेतावनी नहीं मानती है। लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में देखे तो वहां शिवसेना, एन सी पी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। इनमें भी शिवसेना का संख्या बल सबसे कम है। और वही अपनी लंगड़ी सरकार के बावजूद संविधान और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है। इस हालत में सरकार, विधानसभा, संसद आदि को कैसे परिभाषित किया जावे? ये एक गंभीर प्रश्न है।

वर्चुअल सभा और धार्मिक अनुष्ठान से मनाया चौदहवां समता स्थापना महोत्सव

जयपुर। समता आन्दोलन समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोनाकाल के लॉकडाउन में संस्था का स्थापना महोत्सव घरों में रहकर ही अनूठे तरीके से मनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर दस राज्यों और संघशासित प्रदेशों में समतावादी नागरिकों ने बड़ी संख्या में वर्चुअल सभा में ऑनलाईन भाग लिया। इस वर्चुअल सभा को संस्था के संरक्षकों, अध्यक्ष, महामंत्री प्रदेश अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों द्वारा सम्बोधित किया गया ।

जस्टिस पानाचंद जैन (संरक्षक) ने सम्बोधन में कहा कि मराठा आरक्षण पर संविधान पीठ का निर्णय भविष्य में आरक्षण की दिशा तय करेगा। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने तीन बातें स्पष्ट कर दी हैं, पहली, आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, दूसरी ओबीसी घोषित करने का अधिकार राज्यों को नहीं हैं- राष्ट्रपति को है और तीसरी आरक्षण का आधार जाति को नहीं बनाया जा सकता हैं प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गोड़, पूर्व कुलपति,(संरक्षक) ने कहा कि कोरोनाकाल में समता आन्दोलन द्वारा केन्द्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल का सार संक्षेप एक पृष्ठ के पैम्फ्लेट "आयुर्वेद अपनाईये, कोरोना भगाईये" में जारी करके लाखों करोंड़ों नागरिकों को कोरोना से बचने और इसके उपचार का आयुर्वेदिक मार्ग बताया गया है। अध्यक्ष पाराशर नारायण ने समता आन्दोलन को देश की दशा और दिशा तय करने वाला भविष्य का संगठन बताया । महामंत्री की आर.एन.गौड़ ने संस्था की गतिविधियों को संक्षेप में बताया । प्रदेशों के अध्यक्षों एवं सम्भागों के अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र की गतिविधियों बताई गयीं। सैकड़ों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा शाम में अपने घरों में ही सुन्दरकाण्ड एवं हनुमान चालीसा के पाठ के अलावा दीपमालिका करके समता आन्दोलन के सफल होने की कामना की गयी।

कोरोना की मार से समता आन्दोलन द्वारा हर साल 11 मई को मनाया जाने वाला शानदार स्थापना दिवस इस बार वर्चुअल ही मनाना पड़ा। वेबिनार के रूप में मनाये गये विचार मंथन के इस यज्ञ में पूरे देश से 275 इकाईयों ने भागीदारी करके सिद्ध कर दिया कि कोई भी रूकावट समता की भावधारा को अवरूद्ध नहीं कर सकती है।

वेबिनार के ठीक बाद शाम के समय प्रदेश के अनेक स्थानों पर सुंदरकाण्ड, हनुमान चालिसा, देवी महिमा का पाठ किया जाकर परमेश्वर से विशेष प्रार्थना की गई कि वे समता आन्दोलन को अपने पवित्र उद्देश्यों में सफल होने की शक्ति प्रदान करें और पूरे देश को वर्तमान महामारी कोरोना संकट से मुक्त करे। रात्रि में दीपोत्सव मनाकर प्रकाश के समक्ष संकल्प प्रकट किया गया कि हम न तो झुकेंगे न रूकेंगे।

अध्यक्ष की कलम से

ना थकेंगे ना टूटेंगे

प्रिय साथियों, 14वें स्थापना दिवस की सभी को बधाई और भविष्य की शुभकामनाऐं। यह कोई साधारण बधाई नहीं है। आप सबके पुरूषार्थ और संकल्प के सफल प्रयास की बधाई है। हम सच में चाहते थे कि इस बधाई का सुख आमने-सामने और एक साथ बैठकर बांटे। लेकिन दुष्ट कोरोना वायरस के पिछले साल की तरह इस बार भी ऐसा नहीं करने दिया? वैसे मई माह अवसर है कि हम भारत के पवित्र संविधान की शुचिता और गरिमा के तहत अपने प्रयासों की सफलता पर गर्वित होंवे। आज पूरे देश में जाति आधारित आरक्षण एक बड़ा मुद्दा तो है लेकिन इसका आतंक नहीं है। याद कीजिये तेरह-चौदह साल पहले का समय जब हमारे मुंह पर और क्रिया कलापों पर आरक्षण का ऐसा ताला लगा हुआ था कि चाहते हुए भी खामोश और अकर्मण्य रहने के मजबूर थे। लेकिन वर्तमान में सब कुछ नया-नया और उत्साहवर्धक लगता है तो उसके मूल में समता आन्दोलन की समतावादी सोच ही है। कथित राजनैतिक पार्टियां और सरकारें हमारी कार्यप्रणाली को देखकर हमेशा असमंजक में रही हैं। हमने किसी का भी अहित किये बिना पात्र का हित किया है। कबीर की भाषा में कहे तो-न काहू से दोस्ती न काहू से बैर-को सिद्धांत रूप में अपनाकर देश की स्वयम सेवी संस्थाओं के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यात्रा अभी रूकी नही है लेकिन मंजिल की झलक दिखाई देने लगी है। इससे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे पांवो में थकान और मन में टूटने का कोई संकेत नहीं है। हां, इस बात का विश्वास अवश्य है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद को संतुलित करने में हमारे प्रयास सफल हुए है। और निश्चित है कि समस्या को समाप्त करने में भी सफल होंगे । जय समता ।

सम्पादकीय

"सेठ सिस्टम नहीं बन सकता"

सपने में भी नहीं सोचा था कि जाति आरक्षण से बड़ा भी कोई दुश्मन भारत को झकझोर सकता हैं? लेकिन नव कोरोनावायरस ने उस धारणा को बदल दिया है। पूरा देश त्राहिमाम की हालत में है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं बची है। एक न्यायपालिका हुआ करती थी जिसपर लोकतंत्र की अंतिम आस टिकी थी । वह न्यायतंत्र भी भय और आंशका से त्रस्त अपने मार्ग पर चलता नहीं दीख रहा है। कोई तीन करोड़ कोरोना संक्रमितो में से तीन लाख अर्थात आंकडों की भाषा में बीमारों में से एक प्रतिशत लोग काल के ग्रास बने है।

सरकार को यह कहकर छूट नहीं दी जा सकती कि मरना-जीना तो भगवान के हाथ में है। क्योंकि न केवल पौराणिक और लोक आस्था राजा अथवा सरकार को ही भगवान घोषित करते है अपितु साहित्य जगत के शिखर मुंशी प्रेमचंद की कहानी "पंच-परमेश्वर भी यही प्रमाणित करती है। तो क्या भारत से उसका भगवान रूठ गया है? नहीं। वो तो बेचारा मंदिरों में कैद कर दिया गया है। हाँ, सरकार नाम का भगवान रूठा नहीं है वरन् फेल हो चुका है। इसलिये जन संहार हो रहा है।

जनसंहार हमारा नहीं बल्कि इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा सरकार के खिलाफप्रयुक्त "विशेषण " है जो तथ्यों पर सही प्रमाणित हुआ है। कोई सौ साल पहले बंगाल के दुर्भिक्ष और हैजा महामारी से आज की तुलना (कोरोना) में कई गुणा अधिक मौते हुई थी तब न संवैधानिक सरकार थी और न ही मेडिकल सुविधाऐं थी । फिर भी मौत के उस अंधकार को चीरकर मानवता का दीपक जल रहा था । आज सबसे बड़ा संकट मानवता को समाप्त कर दिये जाने का है जो अनेक रूपों में हमारे सामने है। हम साफ मानते हैं कि कम से कम भारत के मानवता के मरने के पीछे असंदिग्ध रूप में जाति आरक्षण का दानव है। यह तथ्य है।

जाति आरक्षण के नाम पर सिस्टम के "चौक" (ठस) हो जाने के भय से भीरू सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों से पीछा छुड़ाने के लिये धीरे-धीरे उनकी छंटनी करके संख्या को 40 प्रतिशत से नीचे लाया गया। नयी भर्तियाँ रोक दी गई । पदौन्नति में जाति आरक्षण थोप दिया गया । इन सब बातों का असर वही हुआ जा होना था। यानि सिस्टम फेल हो गया । और ऐसा फेल हुआ कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मंशा में इसे टिप्पणियों के माध्यम से परिपुष्ट कर दिया ।

सच को सच कहने के लिये किसी कालखण्ड अथवा परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती । अतः वर्तमान में प्रभावी ढंग से कहा जा सकता है कि आरक्षण के भूत से बचने के लिये प्रायवेटाइजेशन की माला फेरने वाले नेता और पार्टियाँ भी इस सच को झुठला नहीं सकते कि निजि क्षेत्र ने कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तो अमानवीयता की सारी हदें पार करके प्रमाणित कर दिया है कि सेठ कभी भी सिस्टम नहीं बन सकता है। गंगा नदी पुल से कोरोना मृतकों के शवों को सीधे नदी में फेकने वाली एम्बुलैंसे सभी निजि अस्पतालों की थी और जिन गाँवों के लोगों ने कोरोना मृतकों के शवों को सीधे ही गंगा में प्रवाहित किया उन गांवों में बेहद लचर सरकारी डिस्पेंसरियाँ तो थी लेकिन निजि क्षेत्र का कोई अस्पताल नहीं था।

कोरोना महामारी ने साफ तौर पर बता दिया है कि देश की सरकारों को विकास का माडल खड़ा करते समय योजना के केन्द्र में इन्सान को रखना चाहिये न कि जात और धर्म का जो बिगड़ना था उसे अब सुधारा नहीं जा सकता लेकिन अभी भी समय है कि भविष्य को भारत के अनुकूल बनाया जाये ।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

समता आन्दोलन स्थापना महोत्सव झलकियाँ

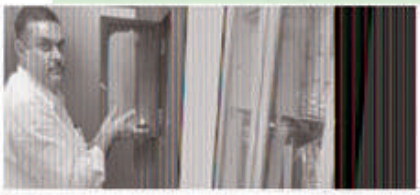

सम्पूर्ण भारत में समता आन्दोलन का चौदहवां स्थापना दिवस पर हमें चित्रों के साथ वीडियो भी प्राप्त हुये। अनेक चित्र भी स्थान अभाव के कारण नहीं दे पा रहे है।

पौराणिक कथन : 'दिलीप'

वाल्महकि के अनुसार राजा सगर के पर पोते राजा रघु के परदादा। गंगा को धरती पर लाने के इनके प्रयास को राजा भगीरथ ने पूरा किया।

जातिवाद एक कुत्सित बात,
कि आरक्षण देता आघात।
अब देश दिखे बिखरा-छितरा
नाचे खूब चौराहे जात।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएं'

कविता

"लगता गड़बड़झाला है"

आसमान कुछ काला है,
लगता गड़बड़झाला है।
पीने वाले बहुत बढे,
कहीं न मिलती हाला है।।
अगड़म बगड़म तिकड़म कर,
अपनी छाया से भी डर,
मौत ढूंढती कच्चा घर,
उस के हाथ खून से तर,
लस्त-पस्त शासन सत्ता-
राजा पी मतवाला है.....।।
आसमान कुछ काला है,
लगता गड़बड़झाला है।
मृत्यु सड़क मदमस्त खड़ी,
चौकस नजरें सुस्त पड़ी,
छोटे मुख से बात बड़ी ,
बर्बादी की लगी झड़ी,
बिना गॉठ धोती बांधे-
थामे मय का प्याला है.....।।
आसमान कुछ काला है,
लगता गड़बड़झाला है।
करते वे तेरी-मेरी,
बात तौलते पन्सेरी,
गिनते कचरे की ढेरी,
समझ न पाते रणभेरी,
कौन कहे राजा नंगा-
सबके मुखपर ताला है.....
सचमुच गड़बडझाला है।।

-योगेश्वर नारायण-

समता क्विज कान्टेस्ट-2021

दस प्रदेशों के हजारों लोग समता आन्दोलन के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जुड़े हुए है। इनमे से अधिकांश लोग भावुकता के साथ समर्पण भाव रखते हैं। इस भाव को पुख़्ता और स्थाई करने के लिये इसी साल से स्थापना महोत्सव पखवाड़े के तहत एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया है। विजेताओं के लिये आकर्षक नकद पुरस्कार भी रखे गये हैं। न केवल समता आन्दोलन के सदस्य अपितु, सामान्य जन को भी समता आन्दोलन की अद्यतन व महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवाने के लिये यह आयोजन मील का पत्थर साबित होने वाला है। दिनांक 23 मई 2021 को ऑन लाइन हुई इस प्रतियोगिता की सम्पूर्ण जानकारी अगले अंक में प्रकाशित की जावेगी।

हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है

गतांग से आगे:-

लेकिन प्रगतिवादियों की इन सब बातों से क्या लेना-देना है। वे तो यह कहते हैं कि हम एक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। संवैधानिक स्थितियों को उलझाए जाने की जरूरत है, क्योंकि वे बहुत लंबे समय से सुलझी हुई पड़ी हैं। वे स्वयं को क्रान्ति का मानदंड-धारक मानते हैं। उनका विश्वास है कि वे इस मध्यकालीन, परंपरागत, वंशानुगत समाज को एक आधुनिक, समतावादी लोकतंत्र में रूपांतरित कर रहे हैं और इस मामले में वे पूर्ववर्ती क्रांतिकारियों से भी बढ़कर हैं।

संविधान में प्रयुक्त शब्दों को न केवल खुले और व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए, बल्कि साथ-ही-साथ उन शब्दों के अर्थ की प्रकृति और दिशा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह नसीहत है प्रगतिवादियों की। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, ''संविधान के आशय-स्पष्टीकरण में शब्दों की व्यापकता ही प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। अधिकारों के विस्तार के लिए अवधारणाएँ समय-समय पर बदल सकती हैं। संवैधानिक मामले शब्दों के व्यापक अर्थ के आधार पर ही सुलझाए जा सकते हैं। संविधान का उद्देश्य विवरण का उल्लेख करना नहीं बल्कि सिद्धांतों की रूपरेखा बनाना है।''

क्रांतिकारी न्यायाधीश

इसके साथ ही एक और नसीहत दी जाती है कि एक न्यायाधीश को सक्रियतावादी भी होना चाहिए। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय आगे कुछ इस प्रकार टिप्पणी करता है-

एक न्यायाधीश को अपने समय की वास्तविकताओं से भलीभाँति परिचित होना चाहिए....। आम लोगों को प्रभावित करनेवाली (समय की) प्रचंड धारा अपने मार्ग में आनेवाले न्यायाधीशों को भी उसी तरह प्रभावित करती है। कानून का उद्देश्य सामाजिक स्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। एक न्यायाधीश में एक विधायक (विधि-निर्माण) की-सी बुद्धिमत्ता, एक इतिहासकार की तरह सत्य की खोज करने की प्रवृत्ति तथा भविष्यदर्शिता होनी चाहिए और वर्तमान की आवश्यकताओं को समझने का सामर्थ्य और हर प्रकार के व्यक्तिगत प्रभाव से दूर रहकर भविष्य की माँग के अनुसार वस्तुगत रूप से निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए। अतः समय की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए न्यायाधीशों को संविधान और अधिनियम की गतिशील अवधारणाओं का उद्देश्यपरक आश्य लेकर चलना चाहिए। एक न्यायाधीश को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सामाजिक विधान किसी खंडन-मंडन का दस्तावेज नहीं बल्कि समाज के सदस्यों के जीवन को नियंत्रित-आदेशित करने का एक माध्यम है। कानून का अर्थ-निरूपण करने के लिए हमें उसके स्वरूप, मूल तत्व और उसके इतिहास में झाँककर देखना चाहिए। कानून जनता की स्वतंत्रता में विस्तार करनेवाला होना चाहिए और विधि-व्यवस्था का उद्देश्य समतावादी समाज की स्थापना होना चाहिए। अतः न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग बदलती सामाजिक आवश्यताओं की पूर्ति करने के लिए सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।मौजूदा सामाजिक असमानताओं और असंतुलन को समाप्त करके सामाजिक व्यवस्था को पुनः समायोजित किया जाना है, अन्यथा कठोर (सामाजिक) रीतियाँ अथवा विजयी प्रभाव स्थापित कर लेंगी। न्यायाधीशों को समाज के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा दलितों और जनजातियों को सार्वजनिक सेवाओं या स्थानों तक पहुँच दिलाने के लिए कानून की प्रगति को आकार देने का दायित्व सौंपा गया है। कानून एक परिणामी उत्पाद है, जिसे पाया नहीं बल्कि बनाया जाता है।

> यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अधिकारों में स्पर्धात्मक संतुलन स्थापित करने के लिए गतिशील और सक्रिय संविधान में प्रयुक्त शब्दों को व्यापक संदर्भ में लेकर संविधान में जीवनी शक्ति भरे।

जी हाँ, यहाँ न्यायपालिका कानून बनाती भी है- बैनर के ऊपर बैनर। और यह तो एक उदाहरण मात्र है।आइए देखें, न्यायालय आगे क्या कहता है-अतः न्यायाधीशों को समय की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव जीवन-दशाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और जीवन के अधिकार को सार्थक बनाते हुए संविधान तथा विधायिका को प्रभावशाली बनाना चाहिए। राष्ट्रीय जीवन के वाहन के रूप में इस न्यायालय को राष्ट्र की आवश्यकताओं को समझना चाहिए, और जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा संवैधानिक संकल्पना को यथार्थ बनाने के लिए कानून का व्यावहारिक आशय निकालना चाहिए, और संविधान का खुला एवं व्यापक अर्थ प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें.....।

अतः यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अधिकारों में स्पर्धात्मक संतुलन स्थापित करने के लिए गतिशील और सक्रिय संविधान में प्रयुक्त शब्दों को व्यापक संदर्भ में लेकर संविधान में जीवनी शक्ति भरे। न्यायालय का कार्य वर्तमान की आशाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतीत को ध्यान में रखकर समान सामाजिक परिवर्तन को आकार देना है। इस न्यायालय को अन्य कानूनों के आशय स्पष्टीकरण की बजाय संविधान के आशय-स्पष्टीकरण की अधिक स्वतंत्रता है। अतः यह ऐसे किसी अर्थ-निरूपण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, जो राष्ट्रीय अखंडता या प्रगति में बाधा उत्पन्न करे; यह ऐसे अर्थ-निरूपण को लेकर चलता है, जो संविधान की प्रस्तावना में रखे गए आदर्श के अनुरूप हो- समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय तथा आर्थिक सशक्तीकरण के समान अधिकार उपलब्ध कराकर एवं उन्हें (सामाजिक)अन्याय से बचाकर। संरक्षणात्मक भेद समान न्याय की संकल्पना को साकार करने का एक कारगर उपाय है.....।

आरक्षण से संबंधित मामलों और उन पर दिए जानेवाले निर्णयों में इस तरह की नसीहतें स्वाभविक-सी बन गई हैं। ''भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति के एक दस्तावेज के रूप में वर्णित किया गया था; न्यायपालिका सहित प्रत्येक व्यवस्था इससे संबद्ध है, जो सरकार की एक अलग, किंतु समान शाखा के रूप में वर्तमान व्यवस्था को एक नई मानव-व्यवस्था में रूपांतरित करने के लिए है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्र की सभी संस्थाओं में मौजूद रहेगा और सभी के लिए अवसर एवं स्तर की समानता होगी।'' बिहार राज्य बनाम बालमुकुंद शाह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी।'' न्याय की ब्रिटिश अवधारणा किसी स्थिर समाज-राष्ट्र के लिए तो संतोषजनक थी, लेकिन लिंग न्याय (समानता) की आवश्यकतावाले किसी समाज के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जा सकता। ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में, न्यायपालिका को सामाजिक-आर्थिक क्रांति के एक माध्यम के रूप में कार्य करते हुए जनसामान्य तक सामाजिक न्याय पहुँचाना चाहिए।''

चयनात्मक सक्रियतावाद

लेकिन साथ ही एक और नसीहत कि हर मामले में इस तरह का खुला और व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। जरा याद करें न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के उन शब्दों को, जिनमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार सामाजिक अन्याय को मिटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय निरंकुशता का सहारा ले। यह भी याद करें कि किस तरह न्यायमूर्ति अय्यर जैसे न्यायाधीशों ने अपना निर्णय थोपने के लिए 'नीति' की परिधि को ही सीमित कर दिया है। और जब वही न्यायाधीश दूसरे मामले- शोषित कर्मचारी संघ- में इस तरह की टिप्पणी करे तो क्या आश्चर्य की बात नहीं है-कि यद्यपि विवादित प्रावधान से मुश्किल में पड़े लोगों के प्रति 'किसी को भी सहानुभूति हो सकती है';क्योंकि ''जीवन के निम्नतर स्तर पर वे संख्या में ज्यादा हैं। वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और जीवन की बोझिल स्थितियों से परेशान हैं।''

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आह्वान

आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये।

मान्यवर,

हजारों वर्षों से परखी हुई भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एवं योग पर आधारित कोविड-19 (कोरोना) महामारी से बचाव, उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा प्रबन्धन प्रोटोकॉल दिनांक 06.10.2020 को जारी किया गया है। यह प्रोटोकॉल राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद और योग के छः प्रतिष्ठित संस्थानों (AIIA, IPGTRA, NIA, CCRAS, CCRYN और अन्य राष्ट्रीय शोध संगठनों) के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।

1. कोविड-19 से बचाव के उपाय :

A. सामान्य और शारीरिक उपाय : (i) शारीरिक दूरी, श्वसन और हाथ की स्वच्छता रखें, मास्क पहनें (ii) एक-एक चुटकी हल्दी और नमक के गर्म पानी से गरारे करें (iii) घर से बाहर जाने और वापस आने पर अणु तैल/षड्बिन्दु तैल/तिल तैल/नारियल तैल या गाय का घी नाक में डालें (iv) अजवाईन या पुदीना या नीलगिरि तैल के साथ दिन में एक बार भाप लेना (v) नींद 7-8 घंटे (vi) मध्यम शारीरिक व्यायाम तथा (vii) योग (प्राणायाम आदि) प्रोटोकॉल (संलग्नक-एक व दो) का पालन करें।

B. आहार सम्बन्धी उपाय: (i) अदरक या धनिया या तुलसी या जीरा डालकर उबला हुआ पानी पीएँ (ii) ताजा, गर्म, संतुलित आहार लें (iii) रात्रि में गोल्डन मिल्क (150 मिली गर्म दूध में तीन ग्राम हल्दी चूर्ण) लेवें (iv) आयुष काढ़ा दिन में एक बार लेवें।

C. उच्च जोखिम आबादी या सम्पर्कों में कोविड-19 से बचने के लिए: (i) अश्वगंधा का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से लें (ii) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मि.ग्रा.एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (iii) च्यवनप्राश 10 ग्राम गर्म पानी/दूध के साथ प्रति दिन लेवें।

2. लक्षण रहित कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार :

(I) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक गर्म पानी से दिन में दो बार (iii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

3. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार :(बुखार, थकान, सूखी खाँसी, गले में खरास, नाक बंद लेकिन श्वास फूलने से पहले)

(I) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

4. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का विशेष उपचार :

(I) शारीरिक दर्द/ सिरदर्द के साथ बुखार के लिए नागरादि कषाय (ii) खाँसी के लिए शहद के साथ सितोपलादि चूर्ण गले में खरास/स्वाद में कमी के लिए व्योषादि वटी (iii) थकान के लिए च्यवनप्राश (iv) हाइपोक्सिया के लिए वासावलेह (v) दस्त के लिए कुटज घनवटी और श्वास फूलने पर कनकासव भी संलग्नक-3 के अनुसार या आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं।

5. कोविड-19 पश्चात् उपचार : (i) अश्वगंधा का एक्स्ट्रेक्ट 500 मिलिग्राम या चूर्ण 1-3 ग्राम एक माह तक गर्म पानी से दिन में दो बार (ii) च्यवनप्राश 10 ग्राम प्रतिदिन गर्म पानी/दूध के साथ एक बार (iii) रसायन चूर्ण एक माह तक प्रतिदिन शहद के साथ दो बार।

6. कोविड-19 की रोकथाम के लिए तथा कोविड-19 के बाद परिचर्या के लिए योग (प्राणायाम आदि) :

संलग्नक-1 एवं 2 में योग प्रोटोकॉल 45 मिनिट एवं 30 मिनिट की अलग-अलग सारणी में बताये गये हैं, इनकी नियमित पालना भी आवश्यक है।

नोटः- उपर्युक्त प्रोटोकॉल (तीनों संलग्नकों सहित) की विस्तृत जानकारी भारत सरकार आयुष मंत्रालय की वेबसाईट पर एवं समता आंदोलन की वेबसाइट www.samtaandolan.co.in के होम पेज पर उपलब्ध है जिसका गम्भीरता से अवलोकन और पालन करेंगे तो शीघ्र ही भारत देश कोविड-19 से मुक्त हो जायेगा। कृपया आयुर्वेद एवं मानवता की सेवा के लिए इस पैम्फलैट को लगातार प्रचारित करते रहें। सादर।

निवेदक : समता आन्दोलन समिति (रजि.)

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in